हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 68

वीरवार, 27 फरवरी, 2020/8 फाल्गुन,1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरम्भ होने की घोषणा करने से पहले ही हिमाचल प्रदेश में कुछ निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटने व इससे हिमाचल प्रदेश की बदनामी होने संबंधी विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

"आपका विषय आ गया है। प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण समय है। कृपया आप इस विषय को किसी नियम के अंतर्गत नोटिस देकर ला सकते हैं और फिर इस पर चर्चा हो सकती है। अभी प्रश्नकाल में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। विषय उठाने का आपका पूरा अधिकार है।"

शिक्षा मंत्री ने विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यद्यपि यह विषय यू.जी.सी. को गुमनाम शिकायत के तौर पर प्राप्त हुआ है फिर भी हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन इस विषय की गहराई से जांच कर रहा है।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2310 व 2312 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा वन मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2315, 2319 व 2321 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2311, 2313, 2314, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322 व 2323 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2324 से 2344 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 757 (स्थगित) तथा 816 से 828 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री राजेन्द्र राणा ने अपने विधान निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सुजानपुर सिविल आस्पताल में चिकित्सकों के 7 पद भरे होने के बावजूद दुर्घटना में घायल 2 लोगों के वहां पहुंचने पर अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के उपलब्ध न होने का विषय उठाया।

जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) ने कहा कि यह विषय अभी विभाग के ध्यान में नहीं आया है, फिर भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की छानबीन की जाएगी तथा उचित कार्रवाई भी की जाएगी।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 38वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री (प्राधिकृत)** ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 29(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन पत्र, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी ।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2019-2020 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारण

श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की ।

तत्पश्चात प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

4. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित किया।

(II) <u>**सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**</u>

श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री बलवीर सिंह ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2020 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

श्री राकेश जम्वाल ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया एवं चर्चा की।

(1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया -

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष**

श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा एशियन डवलपमेंट बैंक से संबंधित कागज़ातों का ज़िक्र करने पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन कागज़ातों का हवाला दे कर आरोप लगा रहे हैं, वह उन कागज़ातों को सत्यपित कर सदन के पटल पर रखें।

माननीय अध्यक्ष ने श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष को उनके द्वारा उद्धृत किए गए कागज़ात सत्यापित कर सदन के पटल पर रखने का आदेश दिया।

2. **श्री राकेश पठानिया,**
3. **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल**
4. **श्री बिक्रम सिंह जरयाल**

श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष द्वारा मोक्षधाम निर्माण बारे की गई टिप्पणी पर अपना स्पष्टीकरण दिया।

5. **श्री राजेन्द्र राणा**

श्रीमती सरवीण चौधरी, शहरी विकास मंत्री ने श्री राजेन्द्र राणा द्वारा शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि तथा ऊना में भूमि क्रय को लेकर की गई टिप्पणियों बारे स्पष्टीकरण दिया।

6. **श्रीमती कमलेश कुमारी**

श्री राकेश सिंघा द्वारा शहरी विकास मंत्री की ओर से तारांकित प्रश्न संख्याः 2324 के उत्तर में दर्शाई गई धनराशि तथा स्पष्टीकरण में कही गई धनराशि के अंतर को लेकर की गई टिप्पणी पर श्रीमती सरवीन चौधरी, शहारी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

सदन के बैठक का समय 5.15 बजे सांय काल तक बढ़ाया गया।

7. **श्री विक्रमादित्य सिंह**

05.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार 28 फरवरी, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।